

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उ.प्र., इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 06 नवम्बर, 2018

विषय: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के आधार पर बखशी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जुनैद पट्टी (बेलहा बांध) तहसील-फूलपुर, जनपद-इलाहाबाद, उओप्रओ को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निम्नलिखित संस्था/महाविद्यालय द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर उन्हें अल्पसंख्यक संस्था की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

क्रम	संस्था का नाम	भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र में अंकित फाइल नं.	धर्म
1	बखशी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जुनैद पट्टी (बेलहा बांध) तहसील-फूलपुर, जनपद-इलाहाबाद, उओप्रओ	F.No. 1106 OF 2015/67971 Dated 8 th March, 2016 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 04 फरवरी 2016	मुस्लिम

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उओप्रओ राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) से आच्छादित पाठ्यक्रम हेतु बखशी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जुनैद पट्टी (बेलहा बांध) तहसील-फूलपुर, जनपद-इलाहाबाद, उओप्रओ को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया नियमों/शासनादेशों के आलोक में ही अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या - (1)/सत्तर-6-2018 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट नं. 4, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5 संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उओप्रओ शासन, लखनऊ
3. कुलसचिव, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
5. सचिव/प्रबन्धक, बखशी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जुनैद पट्टी (बेलहा बांध) तहसील-फूलपुर, जनपद-इलाहाबाद।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

|

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।